संख्या–910 / पॉच–5 / 2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,** उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिलाधिकारी,** उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त अपर निदेशक,** चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,** उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊः दिनांक :23 अप्रैल, 2020**

विषयः प्रदेश में कोविड समर्पित चिकित्सा इकाईयों में तैनात चिकित्सकीय दलों के दायित्वों के विषय में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–682 / पांच–5–2020 दिनांक 23 मार्च, 2020, शासनादेश सं0–737 / पांच–5–2020 दिनांक 27 मार्च, 2020 एवं शासनादेश सं0–800 / पांच–5–2020 दिनांक 07 अप्रैल, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कोविड समर्पित एल–1 चिकित्सा इकाई में तैनात चिकित्सकीय दल 1 एवं 2 के संरचना एवं कर्तव्यों के विषय में स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

2– संदर्भित शासनादेश सं0–800 / पांच–5–2020 दिनांक 07 अप्रैल, 2020 के पैरा–5 बिन्दु 6 एवं 7 में निम्नलिखित प्राविधान किया गया है–

- यदि मण्डल के क्षेत्राधिकार में किसी समर्पित एल–1 चिकित्सा इकाई (उदाहरण इकाई–ए) में उस समय तक कोई भी मरीज भर्ती न हुआ हो एवं मण्डल के किसी अन्य समर्पित एल–1 चिकित्सा इकाई (उदाहरण इकाई–बी) में दोनों दलों ने अपनी 15 दिनों की ड्यूटी पूर्ण कर ली हो तो ऐसी एल–1 चिकित्सा इकाई की टीमों को जोकि तैनाती के लिए पूर्णरूप से प्रशिक्षित हैं (उदाहरण इकाई–ए), मण्डल की दूसरी चिकित्सा इकाईयों में तैनात किया जा सकता है, जहाँ पर एल–1 इकाईयों में उस समय तक मरीज भर्ती हों और वहाँ के दोनों दल अपनी 15–15 दिनों की ड्यूटी पूर्ण कर चुके हों (उदाहरण इकाई–बी)।
- उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में चिकित्सीय टीमों की अन्तर–जनपदीय तैनाती भी मण्डलायुक्त के मार्ग–निर्देशन में अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा की जायेगी।

(i) इस प्रकार से एक समर्पित एल–1 चिकित्सा इकाई के 25 सदस्यीय टीम की अन्य जिले की एल–1 चिकित्सा इकाई पर तैनाती होने की स्थिति में सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी, जहाँ से टीम दूसरे जनपद के लिए प्रस्थान कर रही है, यातायात सुविधा उपलब्ध करायेंगें।

(ii) Active Quarantine की सुविधा, खान / पान की सुविधा, जिस जनपद हेतु यह दल प्रस्थान कर रहा है, के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) 15 दिन की ड्यूटी पूर्ण करने के उपरान्त, जहाँ पर दल द्वारा कार्य किया गया है, के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दल के मूल जनपद के Passive Quarantine केन्द्र तक यातायात की सुविधा टीम को उपलब्ध कराया जायेगा।

Pankaj/GO/COME-3

-2-

Scanned with CamScanner

3– उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड समर्पित चिकित्सा इकाईयों में तैनात चिकित्सकीय दलों के दायित्वों के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा निर्देश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें–

1. जिस मण्डल के अधिकांश जनपद संक्रमित हों एवं पास के जनपद से टीम भेजना संभव न हो, वहाँ पर तृतीय टीम का गठन अवश्य कर लिया जाय।
2. टीम–1 के Active Duty के बाद 15 दिन Passive Quarantine में रहेगी एवं तत्पश्चात् Non-Covid Duty करेगी तथा तत्पश्चात् 15 दिनों के अन्तराल पर पुनः Active Duty पर वापस आ जायेगी।
3. चूंकि भविष्य में भी एल–1 चिकित्सा इकाईयों में चिकित्सकीय दलो को तैनात करने की आवश्यकता पड़ सकती है, अतः अन्य सभी जनपद भी तृतीय दल गठित करें। तृतीय दल की संरचना एवं मानक यथा एल–1/एल–1 समकक्ष (L1/L1 Attached) चिकित्सा इकाईयों के दलों हेतु निर्धारित मानक के अनुसार होनी चाहिए।
4. समय रहते यह स्पष्ट कर लें कि टीम–2 की ड्यूटी समाप्त होने के पश्चात् सभी कियाशील एल–1/एल–1 समकक्ष (L1/L1 Attached) इकाईयों पर कौन सी टीम द्वारा कार्य किया जायेगा। कियाशील एल–1/एल–1 समकक्ष (L1/L1 Attached) इकाईयों मे कार्य करने हेतु 15–15 दिन का रोस्टर भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें **(प्रारूप–1)**।

   रोस्टर इस प्रकार हो कि टीम–1 कियाशील होने की तिथि से 15वें दिन तक, टीम–2 16वें – 30वें दिन तक, टीम–3 31वें – 45वें दिन तक एवं पुनः टीम–1 46वें – 60वें दिन तक कियाशील रहें तथा तीनों टीमें इसी कम में कार्यरत रहेंगी। **यहां यह भी स्पष्ट करना है कि किसी भी दशा में बिना समुचित प्रशिक्षण के कोई भी कार्मिक कोविड चिकित्सा इकाई में नहीं तैनात किया जायेगा।**
5. संदिग्ध मरीजो के सैम्पल कलेक्शन के लिये लगाये गये प्रयोगशाला प्राविधिक (Lab-Technician) को भी अत्यधिक सर्तकता बरतने की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुये, ऐसे तैनात सभी प्रयोगशाला प्राविधिक (Lab-Technician) को भी Active Quarantine एवं Passive Quarantine प्रोटोकाल का पालन अपेक्षित है एवं मुख्य चिकित्साधिकारी इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
22.4.20
(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या–910 (1)/पॉच–5/2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सेचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

Scanned with CamScanner

क्रियाशील एल–1 एवं एल–1 समकक्ष चिकित्सा इकाईयों पर कार्यरत टीम–1, टीम–2 एवं टीम–3 की सूचना हेतु प्रपत्र

प्रपत्र–1

क्रमांक	क्रियाशील एल–1 इकाई का नाम/ एल–1 समकक्ष इकाई का नाम	टीम लीडर का नाम ** (टीम–1 हेतु) for first 15 days and then after 30 day, for next 15 days (same cycle)	टीम लीडर का नाम ** (टीम–2 हेतु) for 16th - 30th days and then after 30 day, for next 15 days (same cycle)	टीम लीडर का नाम ** (टीम–3 हेतु) for 31st - 45th days and then after 30 day, for next 15 days (same cycle)	क्या टीम–3 जनपद की अथवा गैर जनपद की	यदि गैर जनपद की, तो टीम–3 के मूल जनपद का एवं एल–1 इकाई का नाम	स्थानीय टीम–3 के गठन की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8

** कृपया इस प्रपत्र के साथ संलग्न, अनुलंग्नकों पर तीनों टीमों के 25 सदस्यों का विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Scanned with CamScanner